# राजस्थान सरकार
## प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग

क्रमांक प. 10(9)प्रसु/टाइम्स/2015 जयपुर दिनांक : 17.06.2015

समस्त जिला कलक्टर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
राजस्थान

विषयः- दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की सूचना एंव निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के आदेश दिनांक 24.12.2014 की निरन्तरता में आप द्वारा प्रतिमाह किये जाने वाले दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम का यात्रा कार्यक्रम तथा निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. आगामी माह का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम मौजूदा माह की 15 तारीख तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उदाहरणार्थः- माह अगस्त, 2015 का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम 15 जुलाई, 2015 तक अपलोड किया जावे। यदि किसी कारणवश आप द्वारा आगामी माह का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम 15 तारीख तक अपलोड नहीं किया जाता है तो मौजूदा माह (current month) की 25 तारीख तक अपलोड करने हेतु निदेशक, पब्लिक सर्विसेज से अनुमति लेकर ही अपलोड किया जा सकेगा तथा 25 तारीख पश्चात सिस्टम में यात्रा कार्यक्रम अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
2. निरीक्षण रिपोर्ट यात्रा के दिन अथवा आगामी दिवस तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। यदि आगामी दिवस तक निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई तो यह प्रकल्पित (Presume) किया जायेगा कि आपने दौरा/यात्रा नहीं की है।
3. रात्रि विश्राम उसी स्थान पर किया जायेगा जहां पर यात्रा कार्यक्रम में दर्शाया गया है।
4. जिला कलक्टर का यह दायित्व हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जिले के समस्त सम्बन्धित अधिकारी मानदण्डों के अनुसार दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम कर

रहें है। इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु वे पाक्षिक समीक्षा करेंगे और मुख्य सचिव को सम्बोधित उनके मासिक अर्द्ध शासकीय पत्र में इसकी प्रगति रिपोर्ट अंकित करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि आप द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले यात्रा कार्यक्रमों एवं निरीक्षण रिपोर्टो का मुख्य सचिव द्वारा भी अवलोकन किया जायेगा।

**कृपया इसको सर्वोच्चय प्राथमिकता प्रदान करें।**

**(राकेश वर्मा)**
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर
3. समस्त संभागीय आयुक्त
4. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपक्रम/निगम/मण्डल/निकाय
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

**(बालकृष्ण पावा)**
शासन उप सचिव